If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :— (1) Additional Director General Publication Division —Chairman (2) Additional Director Genaral (Administration), Directorate of Advertising and Visual Publicity —Member (3) Joint Director, Publication Division or Directorate of Advertising and Visual Publicity —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

[F. No. 1/30/2004-MUC]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 28 मई, 2015

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, II और III भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी I के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय में आशुलिपिक श्रेणी I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-I	*06 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ।	नहीं	दो वर्ष

(7)
(ii) कौशल परीक्षण मानक :–   **श्रुतलेखन** :–10 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (अंग्रेजी या हिंदी में)   **प्रतिलेखन** :–केवल कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) 55 मिनट (हिन्दी)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 17% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); (ii) 83% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति** : सचिवालय कार्य में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सहित ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200–20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए में दस वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविद भी है) आमेलन द्वारा :–** केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्व संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :– (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये में दस वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के

(11)

पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्त की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिका संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दिशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

आमेलन के लिए : केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
(i) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा), ई-I, अनुभाग का भारसाधक —अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय —सदस्य 3. अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) —सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा या आमेलन) के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

(ii) समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

1. अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) —अध्यक्ष
2. निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय —सदस्य
3. अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) —सदस्य

[सं. 12018/3/2013-डीसीएचएल/स्था.-1]

अनिल राज कुमार, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 28th May, 2015

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textile, Office of the Development Commissioner for Handlooms Recruitment Rules, 2004, Stenographer Gr. I, II and III, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, namely :—

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms Stenographer Grade-I Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating these to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-I	6* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'V', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300–34800 plus grade pay of Rs. 4200	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions for orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing dated prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th Pass from a recognised Board. (ii) Skill Test **Norm :** Dictation : 10 minutes @ 100 words per minutes (in English or Hindi). **Transcription :** 40 minutes (English), 55 minutes (Hindi) on computer only.	No	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
(i) 17% by promotion failing which by deputation including short-term conract, 83% by deputation (including short-term contract/ absorption failing which by Direct Recuritment.	**Promotion :** Stenographer Grade II with ten years' regular service in the Pay Band-I, Rs. 5200–20200 plus grade pay of Rs. 2400 with two to four weeks training in secretarial work. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation (including short-term) contract/Absorption :** Officers under the Central or State Government or Union Territories or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 in the parent department. **Note 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding to the current appointment in the same or some other organization or department shall not normally exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.

(11)

Note 3 : For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For absorption :

Only officers of Central Government or State Government or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment.
(12)	(13)
(i) Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— 1. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) In-charge of E-1 Section —Chairman 2. Director or Deputy Secretary in the Offices of the Ministry of Textiles —Member 3. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) —Member **(ii) Composition of Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :—** 1. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) In-charge of E-1 Section —Chairman 2. Director or Deputy Secretary in the Offices of the Ministry of Textiles —Member 3. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)/absorption.

[No. 12018/3/2013-DCHL/Estt.-I]

ANIL RAJ KUMAR, Addl. Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.